न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 28/2020 GCMS No.—2020/00067

आम जनता बांसखोह ग्राम पंचायत बांसखोह तहसील बस्सी, जिला जयपुर जरिये आम जन गढ मोहल्ला बांसखोह–

1. सीताराम शर्मा पुत्र रामधन जाति ब्राहम्ण,
2. सुभाष शर्मा पुत्र सीताराम जाति ब्राहम्ण,
3. लल्लूलाल पुत्र रामसहाय जाति ब्राहम्ण,
4. अशोक शर्मा पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्राहम्ण,
5. पुनित कुमार शर्मा पुत्र संतोष जाति ब्राहम्ण,
6. सतपाल सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत,
7. जयसिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत,
8. गौरव आनंद सिंह पुत्र आनंद सिंह जाति राजपूत,
9. गणपत सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत,
10. गोविन्द सिंह पुत्र देवी सिंह जाति राजपूत,
11. विमला कंवर पत्नि भैंरो सिंह जाति राजपूत,
12. अक्षय कुमार जाखड पुत्र नरोत्तमलाल जाखड
13. बाबू सैनी पुत्र जगन सैनी

समस्त निवासीयान ग्राम बांसखोह गढ मोहल्ला, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम बांसखोह गढ मोहल्ला तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
2. ग्राम पंचायत बांसखोह पंचायत समिति बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध बेजा पट्टा दिनांक 04.01.1983 जो ग्राम पंचायत बांसखोह ने फर्जकारी से नाथूलाल पुत्र हरिशंकर विपक्षी के नाम से जारी किया।

उपस्थितः–

1. श्री श्याम सुन्दर खण्डेलवाल एवं पवन शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री दिनेश दत्त शर्मा अधिवक्ता गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 23.08.2022

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बांसखोह, पंचायत समिति बस्सी के निर्णय/आदेश दिनांक 04.01.1983 की पालना में गैर निगरानीकार संख्या 1 नाथूलाल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बांसखोह तहसील बस्सी के पक्ष में 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.09.2020 को प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या– एक की ओर से श्री दिनेश दत्त शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये एवं अप्रार्थी संख्या–2 ग्राम पंचायत बांसखोह की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मिसल तलब की गई। मिसल अधीनस्थ ग्राम पंचायत के पत्रांक 98 दिनांक 11.01.2021 से प्राप्त हुई जो कि शामिल मिसल की गई। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 ने अपने नाजायज प्रभाव से ग्राम पंचायत बांसखोह से पंचायत एक्ट के तहत प्रदत्त कानूनी प्रकिया का उल्लंघन करते हुये ग्राम पंचायत को प्रभाव में लेकर प्रश्नाधीन पट्टा आबादी भूमि का दिनांक 04.01.1983 को हासिल कर लिया। निगरानीधीन पट्टे की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पर विपक्षी संख्या 1 ने प्रश्नाधीन पट्टे की आड में अतिक्रमण करते हुये निर्माण करने की गरज से रॉ मेटेरियल इकट्ठा कर लिया उक्त अतिक्रमण को रोकने के लिये निगरानीकारान ने जिला प्रशासन से शिकायत की गयी। प्रश्नाधीन पट्टे की प्रमाणित प्रति भी ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकारान को उपलब्ध नहीं कराई गयी। पट्टा अंतर्गत भूखण्ड सार्वजनिक उपयोग में आता है जिसका पट्टा जारी करने से पूर्व न तो मौका देखा गया न किसी प्रकार का आपत्ति नोटिस दिया गया एवं कोरम में कोई इस प्रकार का प्रस्ताव लिया गया। गैर निगरानीकार प्रश्नगत पट्टे की आड में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करना चाहता है। पट्टे वाली भूमि नृसिंह मंदिर के दक्षिण में व राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय के पश्चिम दिशा में स्थित है। यदि विपक्षी उक्त पट्टे की आड में सार्वजनिक भूमि पर निर्माण कर लेता है तो आम जनता को मंदिर जाने में एवं विद्यार्थीगण को विद्यालय में आने–जाने से बाधा होगी इसलिए प्रश्नगत पट्टा निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व नियम 148 (1) (2) की पालना नहीं की गयी। गैर निगरानीकार ने पट्टे की आड में साबुन फैक्ट्री का लोन लिया जबकि उस जमीन पर साबुन फैक्ट्री उस जमीन पर आज तक नही चली है। गैर निगरानीकार द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोके जाने के कारण निगरानीकार द्वारा माननीय न्यायालय में अवमानना प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। निगरानीकार द्वारा पडत भूमि का पट्टा मनोज कुमार द्वारा लिये जाने के विरूद्ध आपत्ति पेश की गयी है। ग्राम पंचायत से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार भी जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकार को पट्टा दिये जाने में कोई प्रोसिडिंग नहीं की गयी। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बांसखोह द्वारा आदेश दिनांक 04.01.1983 द्वारा नाथूलाल पुत्र हरिशंकर जाति ब्राहम्ण, के पक्ष में जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक ने कथन किया कि ग्राम पंचायत बांसखोह द्वारा जारी किया गया पट्टा नियमानुसार एवं न्याय के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही जारी किया गया है। गैर निगरानीकार का विवादित भूखण्ड पर कब्जा अर्से दराज से चला आ रहा है एवं आदिनांक को भी गैर निगरानीकार का ही निगरानीधीन पट्टे के भूखण्ड पर कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार अनुसार ही गैर निगरानीकार को 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया है एवं गैर निगरानीकार के पुत्र द्वारा पट्टे के अलावा पडत भूमि के संबंध में दिनांक 19.02.2013 को पंचायत में पट्टे हेतु आवेदन किया है। विवादित पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करने के बाद ही जारी किया है। गैर निगरानीकार द्वारा उक्त पट्टे पर आर.एफ.सी से साबुन फैक्ट्री बाबत लोन लिया है। निगरानीधीन पट्टे की भूमि सार्वजनिक भूमि नहीं है। उक्त विवादित पट्टे की सम्पत्ति पर गैर निगरानीकार संख्या 1 पर आदिनांक तक काबिज चले आ रहे है। आम जनता बांसखोह के नाम से निगरानी माननीय न्यायालय में पेश की गयी है जबकि समस्त निगरानीकारान गैर निगरानीकार संख्या 1 नाथूलाल के पडौसी है एवं निगरानीकार संख्या 1 द्वारा ही मुख्य रूप से निगरानी पेश की गयी है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी झूठे तथ्यों के आधार पर पेश की गयी है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा विधि के सिद्वान्तों का पालन करते हुए ही पट्टा जारी किया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता व गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बांसखोह द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में आदेश दिनांक 04.01.1983 से निगरानीधीन पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्रावली में गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा पंचायत में पट्टा लेने हेतु आवेदन एवं पट्टा ही प्राप्त हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है। विद्धान अधिवक्ता का मुख्य कथन है कि निगरानीधीन पट्टे की भूमि सार्वजनिक भूमि है एवं गैर निगरानीकार द्वारा निगरानीधीन पट्टे के पास पडत भूमि पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। इस संबंध में गैर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.01.1983 को निगरानीधीन पट्टे की भूमि पर सोप फैक्ट्री लगाने हेतु **NOC** प्राप्त की है एवं निगरानीधीन पट्टे के भूखण्ड पर नल कलेक्शन की

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

NOC प्राप्त की है। प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति बस्सी द्वारा विकास अधिकारी पं.स. बस्सी को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 01.10.2020 में भी विवादग्रस्त पट्टेशुदा भूमि पर टीनशेड लगे होना एवं पट्टे शुदा भूमि पर वर्तमान में सार्वजनिक कुंआ और बगीची नहीं होना जाहिर किया है। निगरानीकर्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/तथ्य न्यायालय में पेश नहीं किए जिससे ये स्पष्ट हो कि पट्टेशुदा भूखण्ड की भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से निगरानीधीन भूमि पर गैर निगरानीकार संख्या 1 का कब्जा होना प्रतीत होता है। न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर महानगर प्रथम में विचाराधीन प्रकरण बउनवानी नाथूलाल बनाम ग्राम पंचायत बांसखोह प्रकरण संख्या 08/21 में दिनांक 13.08.2022 को हुये समझौता अनुसार रा.बा.मा.विद्यालय के उत्तर दिशा की भूमि पर नाथूलाल के द्वारा उपयोग, उपभोग, निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होना समझौता पत्र में स्वीकार किया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 के पुत्र मनोज शर्मा पुत्र नाथूलाल द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टेशुदा भूमि के पास पडत भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु दिनांक 19.02.2013 को आवेदन किया है जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। निगरानीकार द्वारा दिनांक 30.07.2022 को ग्राम पंचायत बांसखोह में निगरानीधीन पट्टे के पास की पडत भूमि के संबंध में आपत्ति पेश की है। ग्राम पंचायत बांसखोह के समक्ष मनोज शर्मा का आवेदन एवं निगरानीकार संख्या 1 की आपत्ति वास्ते अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं पडत भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में पेश नहीं किया गया है, चूंकि विचाराधीन निगरानी गैर निगरानीकार नाथूलाल के हक में जारी 150 वर्गगज भूमि से संबंधित है इसलिए पडत भूमि के संबंध में न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं समझते है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्य उचित प्रतीत नहीं होते है। ऐसी स्थिति में निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मिसल लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर